भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture
रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–226101 (भारत)
Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India)
Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025
Web Site www. cish.res.in; E-mail- cish.lucknow@gmail.com

फा.सं. 5–36 / 2018–19 / क्रय   स्पीड पोस्ट   दिनांकः 03.04.2018

निविदा / कोटेशन पत्र

सेवा में,

विषय : डी.ए.वी.पी. दरों के अनुमोदन के अनुसार वार्षिक अनुबन्ध करने हेतु सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि विभिन्न हिन्दी एवं अंग्रेजी (स्थानीय एवं बाह्य संस्करणों) के समाचार पत्रों में छपवाने हेतु छूट प्रदान करते हुए न्यूनतम दरें आमंन्त्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि इस संस्थान को समय–समय पर सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि छपवाने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस सम्बंध में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अपनी डी.ए.वी.पी. दरों के अनुमोदन के अनुसार वार्षिक अनुबन्ध करने हेतु सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि विभिन्न हिन्दी एवं अंग्रेजी (स्थानीय एवं बाह्य संस्करणों) के समाचार पत्रों में छपवाने हेतु छूट प्रदान करते हुए न्यूनतम दरें सील बन्द लिफाफे में दिनांक 25.04.2018 तक देने की कृपा करें, सभी प्राप्त कोटेशने समिति द्वारा संस्थान में दिनांक 26.04.2018 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेंगी परन्तु अवकाश होने की दशा में अन्य कार्य दिवस होगा। समस्त प्रकार के अधिकार स्वीकार / अस्वीकार करने आदि के सभी अधिकार निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेंगे।

1. नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा। प्रकाशन हेतु कोई अग्रिम धनराशि संस्थान द्वारा नहीं दी जायेगी।
2. सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि प्रकाशन हेतु डिजाईन के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा। प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों का चयन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
3. सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि निर्धारित समाचार पत्र / पत्रों में कम से कम जगह में छपवाना होगा।
4. अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा परन्तु आपसी समझौते के आधार पर अधिकतम तीन वर्षो की अवधि तक के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। नियम शर्ते नहीं बदली जायेंगी।
5. अनुबंध किसी भी समय सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से बिना कारण बताय समाप्त किया जा सकता है।
6. सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि केवल प्रोमीनेन्ट समाचार पत्र / पत्रों में ही छपवाने के लिए भेजा जायेगा।
7. सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र एक माह के अन्दर सम्बन्धित सूचना बिल डी.ए.वी.पी. दर का आदेश सहित कार्यालय में जमा करना होगा।
8. सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि जिस उद्देश्य से दिया गया है उसके अनुसार प्रकाशित होना चाहिए।
9. छपी हुई सूचना / नीलामी / विज्ञापन आदि सामग्री पठनीय, सुव्यवस्थित तथा दाग धब्बों रहित एवं उसमें काट–पीट नहीं होना चाहिए तभी बिल का भुगतान किया जायेगा।
10. बिल के साथ विज्ञापनादेश की मूल प्रति संलग्न की जाये मूल विज्ञापनादेश संलग्न न होने की दशा में बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. किसी भी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।

कृपया पृष्ठ पलटिये

12. अनुबंधित फर्म को धरोहर/सुरक्षा राशि रू.10000/–(रूपये दस हजार मात्र) DD/FDR, ICAR Unit-CISH, Lucknow के पक्ष में देना होगा।

13. निम्नलिखित कागजात संलग्न अवश्य करें तभी कोटेशन पर विचार किया जायेगा अन्यथा कोटेशन निरस्त मानी जायेगी।

1. फर्म का पंजीकरण संख्या 2. जी.एस.टी. संख्या 3. पैन संख्या 4. फर्म का बैंक विवरण
5. फर्म द्वारा हस्ताक्षरित कोटेशन पत्र।

भवदीय

आर.एन. मलिक
03.04.2018
(आर.एन. मलिक)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

फर्म का नाम............................

फर्म का पता............................

मोबाइल नं...............................

ई–मेल.......................................

फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर....................................

सूचनार्थ हेतु वितरणः

1. प्रभारी, एरिस सेल/संगणक केन्द्र, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न सूचना को संस्थान की वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।